सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 213 / 17</u> निर्णय दिनांकः 17.05.2019

1. बीरबल पुत्र रामूराम जाति नायक निवासी रामनगर हाल चक 1 आर.एम. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. रूस्तम अली पुत्र फत्तु खॉ जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02—02—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

<u>उपस्थितिः—</u>
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 02—02—2017 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की एमएफएफआर खातेदारी भूमि तहसील छत्तरगढ़ के ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 163 हाल चक 1 आरएम में 57 बीघा व खसरा नम्बर 229 में 31 बीघा इस प्रकार कुल 88 बीघा भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 163 की 57 बीघा भूमि चकप्लान में अने पर चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर

112/01 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/09 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्क्बर 92/57 के किला नम्बर 14 ता 18 में 3 बीघा 10 बिस्वा, किला नम्बर 23 ता 25 में 3 बीघा इसप्रकार कुल 56 बीघा 10 बिस्वा भूमि पैमूद हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 92/57 की 18.12 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को बतौर विशेष आवंटन किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि तहसील छत्तरगढ़ के ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 163 हाल चक 1 आरएम में 57 बीघा व खसरा नम्बर 229 में 31 बीघा इस प्रकार कुल 88 बीघा भूमि बतौर एमएफएफआर विस्थापित आवंटित की गई थी। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 163 की 57 बीघा भूमि चकप्लान में अने पर चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 112/01 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/09 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्क्बर 92/57 के किला नम्बर 14 ता 18 में 3 बीघा 10 बिस्वा, किला नम्बर 23 ता 25 में 3 बीघा इसप्रकार कुल 56 बीघा 10 बिस्वा भूमि पैमूद हुई। जिसके खातेदारी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में प्रदान किये जा चुके है। मौके पर अपीलांट का आवंटन दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट मौके पर ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि में से चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 92/57 की 18.12 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को जैर अपील अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी ना ही आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी की भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था।

जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को आवंटन दिनांक 02—02—2017 को किया गया है व इसी दिन 35 प्रतिशत राशि का चालान जारी करने के आदेश दिये गये है व उसी दिन आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार आवंटन अधिकारी द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 208 व आरआरटी 2002 पार्ट II पेज 729 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर में 92/57 में 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई तथा अन्य आवेदक बंशीलाल के आवेदन के तुलनात्मक विवरण एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूस्तमअली की प्राथमिकता आवंटन नियम 13 (ए) के उपनियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की होने पर व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किये जाने के फलस्वरूप आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

प्रकरण में जहाँ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूकों का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश को न्यायालय हाजा द्वारा स्थगित किया जा चुका था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित खातेदार आदेश का अस्तित्व तत्समय नहीं था। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने व अन्य किसी के कब्जे काश्त में नहीं होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का

अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ—साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—02—2017 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16—05—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन, अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अनुसूचित जाति का अनपढ़ व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मियांद के कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों के अनुसार रूस्तम अली पुत्र फत्तु खॉ द्वारा दिनांक 28—11—2007 को तैयार किये गये आवेदन के आधार पर दिनांक 02—02—2017 को 35 प्रतिशत राशि का चालान जारी किया गया तथा दिनांक 23—03—2017 को चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 92/57 की 18.12 बीघा भूमि आवंटित करने का निर्णय कर दिया गया। दिनांक 28—11—2007 को आवेदन प्राप्त होना बताया गया है परन्तु उक्त आवेदन किसी अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित नहीं है। किसी राजस्व अधिकारी से भूमि के आवंटन हेतु उपलब्ध होने, मौके पर खाली होने या आवेदक द्वारा पात्रता की शर्ते पूरी करने संबंधी रिपोर्ट पत्रावली में शामिल नहीं है। राशि जमा होने के उपरान्त दिनांक 23—03—2017 को आवंटन आदेश जारी कर दिये गये। प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नहीं रखा गया तथा खाजुवाला में हुई बैठक का हवाला दे दिया गया। ऐसी बैठक की तारीख या निर्णय संख्या का कोई हवाला नहीं है। इससे जाहिर है कि आवंटन अधिकारी ने फर्जी तरीके से बैठक होने का उल्लेख किया है।

प्रकरण में इसी आवंटन अधिकारी द्वारा इसी भूमि की खातेदारी दिनांक 16–04–2015 के निर्णय द्वारा अपीलांट बीरबल के पक्ष में धोषित की जा चुकी थी। अपीलांट अनुसूचित जाति का है तथा मुरब्बा नम्बर 92/57 की भूमि का रिकार्डेड खातेदार था। जिसका अन्तरण या आवंटन अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 16–04–2015 जिसके तहत अपीलांट के पक्ष में खातेदारी की धोषणा की गई थी कि क्रियान्विती पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01–08–2016 को रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण उक्त आदेश आवंटन की तिथि को प्रभावी नहीं था। हम रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि जब किसी विवादित आदेश की अपील का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तथा परीक्षण न्यायालय का आदेश निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक विवादित भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं मानी जा सकती। विचाराधीन प्रकरण में यदि भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध भी मान ली जावे तो भी पुरानी तिथियों में कुछ चुनिन्दा लोगों से आवेदन पत्र तैयार करवाकर, आम सूचना जारी किये बिना, आवेदकों की पात्रता की जॉच किये बिना तथा आवंटन सलाहकार समिति की सहमति के बिना किये जाने वाला आवंटन विधि विरूद्व है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–02–2017 उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर